ई -समाचार पत्र *तिथि: 07.09.2021 , मंगलवार*

ग्लोबल पावर 10

एक साप्ताहिक समाचार
एकजुट - संगठित- समृद्ध

The true companion of Patriots

देशभक्तों का सच्चा साथी

दिनांक **31.08.2021 से 06.09.2021 तक** (भोपाल ई -समाचार प्रिंट: संस्करण: 7 of 2021) पेज 25

पंजीकरण संख्या: MPHIN/2012/46576 DATED 23.11.2012.
Registered under : Press and Registration of Books Act. 1867.
पंजीकृत : प्रेस और रजिस्ट्रेशनियो ऑफ बुक्स एक्ट. 1867. के तहत पंजीकृत.

कीमत: 10 रुपये प्रति कॉपी रियायती 80% 2 रुपए प्रति ई- प्रिंट pdf I
साप्ताहिक समाचार ई-पेपर
वीयूबी वेबसाइट डोमेन: vindhyanchaluniversity.in

मुख्य संपादक: श्री 1008 आचार्य डॉ. रतन लाल जी बाथम, धर्म शिरोमणि।
मुद्रित रचित और प्रकाशित: श्री 1008 आचार्य डॉ. रतन लाल जी बाथम, धर्म शिरोमणि द्वारा प्रकाशित .
स्थान: भोपाल.
संरक्षण: ओविंध्याचलास्य शैकशानिक एवम समाजिक संस्था, भोपाल - 4620 42 (ओवीएसएस भोपाल).
संरक्षण: विंध्याचल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भोपाल (VUB भोपाल) .
संपर्क कार्यालय: 7260892959, 7049098074
Payment detail: 7049098074
www.vindhyanchaluniversity.in

Email: globalpower10@vindhyanchaluniversity.in

प्रिय पाठकों साप्ताहिक ई-पेपर: ग्लोबल पावर-10: 2021 से संबंधित सूचना हैं :

1.समाचार पत्र का नाम : ग्लोबल पावर-10

2. पंजीकरण नंबर : MPHIN/2012/46576 दिनांक 23 नवंबर २०१२ ।

3. डोमेन नाम : **www.vindhyanchaluniversity.in**

4. समाचार ई-पेपर साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है भोपाल से हर मंगलवार को .

5. **इसकी कीमत 10.00 रुपये है इस पर 80% की छूट दी गई है, इसलिए प्रिंट ई-पेपर ग्लोबल पावर-10 की कीमत 2 रुपये प्रति पीडीएफ है 8 TO 34 पृष्ठों के लिए। ऑफ़र और मूल्य निर्धारण बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।**

6. सदस्यता वार्षिक आधार परभुगतान की जाने वाली राशि 100.00 रुपये होगी : Payment detail: **7049098074** इस नंबर पर आप गूगल फोन Pay द्वारा भुगतान कर सकते हैं OR हमारी वित्तीय सलाहकार कंपनी को एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा अपनी सदस्यता का भुगतान कर सकते हैं :

ए के सिक्योरिटीज ए/सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए/सी नंबर 00011045080223

आईएफएससी कोड: SBIN0006319

7. ई-प्रिंट ग्लोबल पावर टेन -10 द्वारा ई मेल द्वारा pdf भेजा जाएगा। इस पेपर का ईमेल है : globalpower10@vindhyanchaluniversity.in

8. सम्मानित पाठक /निजी/सरकारी आयोजन / इस ई-न्यूज वीकली पेपर (केवल पीडीएफ फॉर्म में ई-प्रिंट) की सदस्यता लेने ऊपर के आइटम 6 में दिए गए Mobile Number: 7049098074/ बैंक खाते में सदस्यता शुल्क भेज सकते हैं ।

9 संपर्क कार्यालय: 7260892959, 7049098074

LASSIFIED: विज्ञापन :

विज्ञापन हेतु संपर्क : संपत्ति के बिक्री / खरीद के लिए, घर किराए पर किराया देने या लेने के लिये कृपया संपर्क करें

10. शादी के विज्ञापन दूल्हा और दुल्हन के लिए विज्ञापन, 7049098074

7260892959, संपर्क करें.

11 . नौकरी व्यवसाय सार्वजनिक नोटिस, कंपनी एजीएम या किसी भी नोटिस के लिए विज्ञापन हेतु संपर्क करें. . संपर्क कार्यालय: 7260892959, 7049098074

1. **ईमेल पर पत्राचार** करें: globalpower10@vindhyanchaluniversity.in

12 . मार्गदर्शन के लिए कृपया ध्यान दें: विज्ञापन हेतु 4 प्रविष्टि (insertion) के लिए कीमत 25 से 50 शब्दों के लिए 500 रुपये है। फोटो ग्राफ पास पोर्ट साइज के साथ अतिरिक्त लागत 500.00 रुपये प्रति फोटो कीमत होगी

1. व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विज्ञापन के लिए कार्यालय फोन या ईमेल globalpower10@vindhyanchaluniversity.in पर **संपर्क करें.**

13.1 किसी भी विज्ञापन का काल इस साप्ताहिक समाचार प्रिंट के 3 महीने से अधिक प्रकाशन नही होगा.

13.2 यदि समय अवधि 3 महीने से अधिक है तो शुल्क दोहराया जाएगा।

आपका बीमा आपकी आय का 10X होना चाहिए? प्रीमियम जांचे

ग्लोबल पावर 10 ई- पेपर मैनेजमेंट.

मंगलवार भोपाल 06.09.2021

ग्लोबल पावर 10

संपादकीय

संपादकीय: आचार्य जी रतन लाल बाथम

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान अपर्याप्त पाया गया कौन सा

पार्टीअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति १९८९ पर अत्याचार निवारण को लागू नहीं करने का दोषी है ।

एससी/एसटी एक्ट 1989 वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू (एससी/एसटी एक्ट 1989 का इतिहास)

भारत की राज्य (dominion stae 15.8.1947) स्थिति के बाद सभी नागरिकों की रक्षा के लिए संविधान बनाया गया था । लेकिन नस्लवाद की जाति व्यवस्था की जड़ भारत में इतनी गहराई तक चली गई है कि शोषित वर्ग के साथ अमानवीय अत्याचार कम नहीं हुए 8वीं सदी में बसने वाले स्वयं को सावरना सनातनी कहते हैं और समाज का भ्रम पैदा करने के लिए उन्हें अरबी शब्द हिंदू प्रचारित करते हैं । इन घटनाओं से चिंतित तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एससी/एसटी जातियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए जरूरी कानून बनाने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया था। 15 अगस्त, १९८७ को डोमिनर दिवस दिवस पर दिए गए भाषण में उन्होंने घोषणा की थी कि अत्याचारों की जांच के लिए यदि आवश्यक हुआ तो एक अधिनियम पारित किया जाएगा । इसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद के दोनों सदनों से 11 सितंबर 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का विधेयक पारित कर दिया। लेकिन इस एक्ट के लागू होने से पहले ही लोकसभा के लिए आम चुनाव शुरू हो गया है। उस चुनाव में कांग्रेस कोसरकार बनाने के लिएबहुमत नहीं मिला था । नेशनल फ्रंट नई गठबंधन सरकार से 30 जनवरी 1990 से इस नियम को लागू किया। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों को परेशान करता है। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 Articles.So थे, इस एससी/एसटी अधिनियम 1989 को बनाने का मुख्य श्रेय कांग्रेस को जाता है, जबकि इस एससी/एसटी अधिनियम 1989 को। बाद में इस अधिनियम में 23 जून 2014 को संशोधन किया गया। अगस्त 2018 में केंद्र की भाजपा सरकार ने इस एक्ट को खोखला बना दिया। इस अधिनियम में कई अनुच्छेदों को जोड़कर, यह अधिनियम गैर-अग्रिम जमानत अधिनियम के लिए हो जाता है।

2.9.21 GP10 प्रस्तुत करता है

स्थिति में सुधार के लिए अदालती कार्रवाई का स्वागत किया है

मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात सभा की घटना के सांप्रदायिककरण की आलोचना की ।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है? हर चीज को सांप्रदायिक एंगल दिया जाता है। वेब पोर्टल किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। यदि आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी फर्जी खबरें और झूठी जानकारी घूम रही है। कोई भी ऐसा करना शुरू कर सकता है ।

सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ तबलीगी जमात मामले के दौरान कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा अभद्र भाषा के

इस्तेमाल और गलत रिपोर्टिंग के संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही थी ।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या केंद्र द्वारा सुझाए गए नियामक आयोग का गठन किया गया था ।

समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीसा) ने कहा कि उन्होंने २०२१ में नियमों में संशोधन को चुनौती दी है ।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सही जानकारी पाने के लिए प्रेस की आजादी और नागरिकों के अधिकार के बीच संतुलन है। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई अप्रिय सूचना या समाचार प्रसारित न हो । प्रसारकों और वेब पोर्टलों के लिए नियम बनाए गए हैं ।

2

2.9.21 Thu 2.9.21 GP10 प्रस्तुत करता है

टाइगर संरक्षण-एक वैश्विक सफलता

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने 1970 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के पहली बार बाघ संरक्षण कार्यक्रम परियोजना बाघों को सहायता प्रदान करके बाघ संरक्षण शुरू किया । 1990 के दशक में, WWF इंडिया ने एक केंद्रित बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया और वर्तमान में छह बाघ परिदृश्यों में काम करता है: तराई आर्क, सुंदरवन, मध्य भारत, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट-नीलगिरी और पश्चिमी भारत टाइगर परिदृश्य ।

दिनांक 2.9.21 गुरुवार 2.9.21

अभिनेता सिद्धार्थ का ४० में निधन

सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया, पुलिस की एक टीम जांच के लिए शुक्ला के आवास पर मौजूद है।

प्रिय पाठकों कृपया आगे पढ़ने के लिए सदस्यता लें

प फोन पे द्वारा भुगतान कर सकते हैं: मोब नंबर 7049098074 या
SEND EMAIL FOR REQUEST OF SUBSCRIPTION to receive you pdf copy by email. after transfer of Rs 100.00 (Rs. One hundred) to the payment details given beloew:

हमारी वित्तीय सलाहकार कंपनी को एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा अपनी सदस्यता का भुगतान करें:

ए के सिक्योरिटीज ए/सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए/सी नंबर 00011045080223
आईएफएससी कोड: SBIN0006319

धोलेपाटिल रोड बंड गार्डे पुणे-411001

महाराष्ट्र

ग्लोबल पावर 10 मैनेजमेंट